संख्या:-16/2019/1248/**33-3-2019-154/2014** टी.सी.

प्रेषक,

अनुराग श्रीवास्तव,

प्रमुख सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-**3** लखनऊ दिनांक: 29 मई, **2019**

विषय:- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक/पॉलीथीन एवं ठोस तथा तरल अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत राज्य की समस्त ग्रामों में ''खुले में शौच करने'' की प्रथा को अथक प्रयासों से समाप्त किया गया है। इसी क्रम में सम्पूर्ण स्वच्छता प्रदान किये जाने के दृष्टिगत ग्रामों में उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों का समुचित प्रबंधन किया जाना अति आवश्यक है। जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट पदार्थों की गन्दगी द्वारा जनित रोगों आदि से भी मुक्ति प्राप्त हो सकेगी तथा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकेगा। इस हेतु निम्नवत् कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1- सूखा कचरा/अकार्बनिक अपशिष्ट **जैसे- प्लास्टिक/पॉलीथीन, धातुएं, कागज, कपड़े, थर्मोकोल, कीटनाशक, कन्टेनर आदि को एक चिन्हित स्थान पर एकत्र कर लिया जाये। इस हेतु यथावश्यक सामुदायिक कूड़ा पात्रों (डस्टबिन) स्थापित किये जाए। तत्पश्चात् फारवर्ड-लिन्केज हेतु कबाड़ी वालों आदि के माध्यम से निरन्तर इन अपशिष्टों का पुनर्चक्रण तथा उचित निपटान सुनिश्चित किया जाए तथा इससे प्राप्त होने वाली धनराशि ग्राम पंचायत के विकास कार्यों के प्रयोग में लाई जाए।**

2- तरल अपशिष्ट पदार्थ (ग्रे वॉटर) **जैसे- ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले समस्त आवासीय, व्यवसायिक स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि परिसरों के रसोई घर, स्नान, कपडे आदि धोने तथा हैण्ड पम्पों, स्टेन-पोस्ट आदि से उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट जल के लिये नाली निर्माण, सामुदायिक सोख्ता गड्ढे एवं वेस्ट**

http://shasnadeshup.nic.in

वॉटर स्टेब्लाईजेशन पाण्ड का निर्माण किया जाये। वेस्ट वॉटर स्टेब्लाईजेशन पाण्ड के निर्माण के लिये क्षेत्र में स्थित तालाबों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यथावाश्यक उचित स्थान पर नवीन वेस्ट वॉटर स्टेब्लाईजेशन पाण्ड भी निर्मित कराये जा सकते हैं। वेस्ट वॉटर स्टेब्लाईजेशन पाण्ड के माध्यम से ट्रीटेड वॉटर (उपचारित जल) का प्रयोग पीने के पानी के रूप में न करते हुए केवल सिंचाई, धुलाई आदि कार्यों में किया जाए।

3- गीला कचरा/कार्बनिक अपशिष्ट जैसे- फल एवं सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां कृषि अपशिष्ट, गोबर आदि के लिये सामुदायिक खाद गड्ढों का निर्माण कराया जाये।

इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में उत्सर्जित हो रहे सभी तरह के अपशिष्टों का प्रबंधन किया जाना है। जिसके लिये आवश्यक है कि ग्रामों में उपलब्ध कराये गये सफाई कर्मियों के माध्यम से निरन्तर नालियों, गलियों, मुख्य मार्गों, विशिष्ट चिन्हित स्थलों आदि सभी स्थानों पर निरन्तर सफाई कराई जाए तथा इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाये कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर प्लास्टिक/पौलीथीन जैसे अपशिष्ट किसी भी परिस्थिति में दृश्यमान न हों।

पंचायती राज विभाग के माध्यम से कार्यरत सफाई कर्मियों का साफ-सफाई का दायित्व होगा, सम्बन्धित सचिव, ग्राम पंचायत एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) द्वारा सतत अनुश्रवण कर ग्राम पंचायत की साफ-सफाई की व्यवस्था बनाई जायेगी। ग्राम पंचायतों में गन्दगी पाये जाने पर सम्बन्धित सफाई कर्मी के साथ-साथ सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत एवं सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।

ग्राम पंचायतें राज्य वित्त एवं 14 वाँ वित्त की उपलब्ध धनराशि से निर्धारित मार्ग-निर्देशिका के अनुसार साफ-सफाई हेतु प्रत्येक 15 दिवस में विशेष अभियान चलाकर ग्राम पंचायतों की साफ-सफाई की व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान कर सकती हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को क्रियान्वित किये जाने हेतु वित्तीय प्रबंधन निम्नवत् किया जा सकता है-

- नाली निर्माण, वेस्ट स्टेब्लाईजेशन पाण्ड तथा सोख्ता एवं खाद गढढों के निर्माण के लिये मनरेगा, राज्य वित्त व 14वाँ वित्त की धनराशि का उपयोग जारी मार्ग-निर्देशिका के अनुसार किया जा सकता है।

http://shasnadesh.up.nic.in

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत उपलब्ध एस0एल0डब्लू0एम0 मद की धनराशि का उपयोग ठोस एवं तरल अपशिष्ट गतिविधियों में निर्धारित अनुमन्यता 150 परिवारों तक की ग्राम पंचायतों हेतु 07 लाख, 150-300 परिवारों वाली ग्राम पंचायतों हेतु 12 लाख एवं 300-500 परिवारों तक की ग्राम पंचायतों हेतु 15 लाख तथा 500 से अधिक परिवारों तक की ग्राम पंचायतों हेतु 20 लाख का उपयोग किया जा सकता है।

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की धनराशि ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों में व्यय होने की स्थिति में केवल सामुदायिक/सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन में धनराशि व्यय की जायेगी। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन मद की धनराशि व्यक्तिगत/एकल लाभार्थी के परिसम्पत्ति निर्माण में व्यय नहीं की जायेगी।

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की धनराशि व्यय किये जाने की स्थिति में डी0पी0आर0 का अनुमोदन राज्य मिशन कार्यालय से प्राप्त कर ही किया जायेगा।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियां प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष अभियान चलाकर 30 जून, 2019 तक पूर्ण की जानी है।

प्रत्येक जनपद द्वारा ग्राम पंचायतवार सूचना संलग्न प्रारूप 01, 02 व 03 पर एकत्र कर जनपद में संरक्षित रखी जाऐगी एवं साप्ताहिक रिपोर्ट संलग्न प्रारूप-04,05 व 06 पर प्रत्येक शनिवार को विभागीय एम0पी0आर0 पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(अनुराग श्रीवास्तव)

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

http://shasnadeshup.nic.in

2. **निदेशक**, **पंचायतीराज**, **उ0प्र0।**

3. **मिशन निदेशक**, **स्वच्छ भारत मिशन** (**ग्रामीण**), **उ0प्र0।**

4. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी**, **उ0प्र0।**

5. **समस्त उप निदेशक**(**पं0**), **उ0प्र0।**

6. **समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी**, **उ0प्र0।**

7. **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से

(सोबरन सिंह**)**

विशेष सचिव।

http://shasnadeshup.nic.in

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश

प्लास्टिक ,पालीथिन एवं अन्य अजैविक पदार्थ आदि के निस्तारण की स्थिति प्रारूप -1

जनपद -

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या	प्लास्टिक आदि के संग्रह हेतु कंटेनर की संख्या	जगह का चिन्हीकरण (मजरे वार) (संख्या में)		प्लास्टिक के निस्तारण हेतु मार्केट से लिंकेज कि स्थित		प्लास्टिक मुक्त होने की स्थिति		
						हां	नहीं	हां	नहीं	ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या

नोट- प्लास्टिक मुक्त होने का आशय यह है की सार्वजनिक स्थल ,नालियों ,गलियों आदि में प्लास्टिक ,पोलीथिन एवं अन्य अजैविक पदार्थ दृश्यमान न हो। निर्धारित स्थान पर प्लास्टिक ,पोलीथिन एवं अन्य अजैविक पदार्थ अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा हो ।

* प्लास्टिक आदि के संग्रह हेतु नवीन /नये कंटेनर का क्रय नहीं किया जायेगा ।

http://shasnadeshup.nic.in

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश

ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की स्थिति — प्रारूप -2

जनपद -

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या	कुल लक्षित खाद के गड्ढे	निर्मित खाद के गड्ढों की संख्या	निर्माणाधीन खाद के गड्ढों की संख्या	ठोस अपशिष्ट से मुक्त होने की स्थिति		
								ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या

नोट - ठोस अपशिष्ट से मुक्त होने का आशय यह है की सार्वजनिक स्थल ,नालियों ,गलियों आदि में ठोस अपशिष्ट दृश्यमान न हो । निर्धारित स्थान पर ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा हो ।

http://shasnadeshup.nic.in

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश

तरल अपशिष्ट के निस्तारण की स्थिति | प्रारूप -3

जनपद -

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या	लक्ष्य			निर्माण की स्थिति			निर्माणाधीन			तरल अपशिष्ट से मुक्त होने की स्थिति		
					सोक पिट की संख्या	नाली निर्माण (मी ०)	वेस्ट स्टेबिलाइ जेशन पांड (WSP) की संख्या	सोक पिट की संख्या	नाली निर्माण (मी ०)	वेस्ट स्टेबिलाइजेशन पांड (WSP) की संख्या	सोक पिट की संख्या	नाली निर्माण (मी ०)	वेस्ट स्टेबिलाइ जेशन पांड (WSP) की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या

नोट - तरल अपशिष्ट से मुक्त होने का आशय यह है की सार्वजनिक स्थल ,नालियों ,गलियों आदि में तरल अपशिष्ट (गन्दा पानी आदि) दृश्यमान न हो । तरल अपशिष्ट का प्रबंधन समुचित ढंग से किया जा रहा हो ।

http://shasnadeshup.nic.in

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश

प्लास्टिक ,पोलीथिन एवं अन्य अजैविक पदार्थ आदि के निस्तारण की स्थिति प्रारूप -4

क्रम संख्या	जनपद	विकास खण्ड की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या	प्लास्टिक आदि के संग्रह हेतु कंटेनर की संख्या	जगह का चिन्हीकरण (मजरे वार) (संख्या में)		प्लास्टिक के निस्तारण हेतु मार्केट से लिंकेज कि स्थित (संख्या में)		प्लास्टिक मुक्त होने की स्थिति		
							हां	नहीं	हां	नहीं	ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या

नोट - प्लास्टिक मुक्त होने का आशय यह है की सार्वजनिक स्थल ,नालियों ,गलियों आदि में प्लास्टिक ,पोलीथिन एवं अन्य अजैविक पदार्थ दृश्यमान न हो । निर्धारित स्थान पर प्लास्टिक ,पोलीथिन एवं अन्य अजैविक पदार्थ अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा हो ।

* प्लास्टिक आदि के संग्रह हेतु नवीन /नये कंटेनर का क्रय नहीं किया जायेगा ।

http://shasnadesh.up.nic.in

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश

ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की स्थिति

प्रारूप -5

क्रम संख्या	जनपद	विकास खण्ड की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या	कुल लक्षित खाद के गड्डे (संख्या)	निर्मित खाद के गड्डों की संख्या	निर्माणाधीन खाद के गड्डों की संख्या	ठोस अपशिष्ट से मुक्त होने की स्थिति		
									ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या

नोट - ठोस अपशिष्ट से मुक्त होने का आशय यह है की सार्वजनिक स्थल ,नालियों ,गलियों आदि में ठोस अपशिष्ट दृश्यमान न हो । निर्धारित स्थान पर ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जा रहा हो ।

http://shasnadeshup.nic.in

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उत्तर प्रदेश

तरल अपशिष्ट के निस्तारण की स्थिति

प्रारूप -6

क्र सं	जनपद	विकास खण्ड की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या	लक्ष्य			निर्माण की स्थिति			निर्माणाधीन			तरल अपशिष्ट से मुक्त होने की स्थिति		
						सोक पिट की संख्या	नाली निर्माण (मी ०)	वेस्ट स्टेबिलाइजेशन पांड (WSP) की संख्या	सोक पिट की संख्या	नाली निर्माण (मी ०)	वेस्ट स्टेबिलाइजेशन पांड (WSP) की संख्या	सोक पिट की संख्या	नाली निर्माण (मी ०)	वेस्ट स्टेबिलाइजेशन पांड (WSP) की संख्या	ग्राम पंचायत की संख्या	राजस्व ग्रामो की संख्या	मजरों की संख्या

नोट - तरल अपशिष्ट से मुक्त होने का आशय यह है की सार्वजनिक स्थल ,नालियों ,गलियों आदि में तरल अपशिष्ट (गन्दा पानी आदि) दृश्यमान न हो । तरल अपशिष्ट का प्रबंधन समुचित ढंग से किया जा रहा हो ।

http://shasnadeshup.nic.in